

पत्र संख्या : ७ब / ४७०२ यो०ज०स०-०७ / १२ 261

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, रॉची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक : २७.३.१३

विषय :- मॉग संख्या-५०-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-७९६-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-२० पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य, विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४३ अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण, विपत्र कोड-५०P470200796200543 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	५०-लघु सिंचाई विभाग /४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	७९६-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / २० पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य	०५-निर्माण, ४३ अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण / ५०P470200796200543	62.00

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ बासठ लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२-२०१३ के तृतीय अनुपूरक के पश्चात् संशोधित बजट उपबंध (वर्ष २०१२-१३) रु. ४१६.०० लाख (₹ चार करोड़ सोलह लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव
लि।

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग—1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

W2

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापाक :-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकू.) झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/खूंटी/जमशोदपुर/पूर्वी सिंहभूम सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

W1

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापाक :-

26/

रॉची, दिनांक :- 27. 3. 13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) रॉची/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग को पैंच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अंतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि०)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

W1

मोत्त संख्या-५०-लघु सिंचाई विभाग,
मुख्य शीर्ष-४७०२-लघु सिंचाई पर पूर्णिमत परिव्यय,

लघु शीर्ष-७९६-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,

उपशीर्ष-२०-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य
विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण ४३ अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसाज्जीकरण,
विपत्र कोड-५०८४७०२००७९६२००५४३

तृतीय अनुपूरक के पश्चात् संशोधित बजट उपबंध (वर्ष २०१२-१३) ₹. ४१६.०० लाख

राशि (लाख ₹ में)

क्र.	लघु सिंचाई प्रमङ्गल	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम		प्रशासनिक स्वीकृति का		वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में आवंटन		अन्युक्ति	
				प्रसंग	राशि	मात्रा	पूर्व का	अतिरिक्त	कुल		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
उद्देश सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन।											
१	लघु सिंचाई प्रमङ्गल, रौची	रौची	सिल्ली	कॉके	१	बोरया (उत्तर) उ.सि.यो.का पुनर्स्थापन	४.२५०	२.६४१			
				कॉके	२	बोरया (दक्षिण) उ.सि.यो.का पुनर्स्थापन	६.१००	०.७६०			
				सिल्ली	३	बिसरिया (पूर्व) का उ.सि.यो. का पुनर्स्थापन	२०.२८०	८.७६०			
				सिल्ली	४	बिसरिया (पश्चिम) उ.सि.यो. का पुनर्स्थापन	५०/०७.०३.११	२२.६७०	७.२९०	४०.०००	
				अनगढ़ा	५	तुरुप उ.सि.यो. का पुनर्स्थापन	२३.५७०	१२.६००	१२.०००	५२.०००	
				अनगढ़ा	६	जामुआरी उ.सि.यो. का पुनर्स्थापन	२७.८००	१९.१३०			
				अनगढ़ा	७	मासू उ.सि.यो. का पुनर्स्थापन	२७.८२०	२७.९४०			
मध्यम सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन											
१	लघु सिंचाई प्रमङ्गल, जमशेदपुर	पू० सिहमुम	पटमदा	१	साहेबबांध तालाब योजना का जीणोद्धार	५६/२८.०३.११	१३८.३७०	५०.०००	९१.०००	२०.०००	१११.०००
२	लघु सिंचाई प्रमङ्गल, खुंटी	रौची	तुण्डु	१	अरकिया सोतिया मध्यम सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन	०९/१८.०६.१२	९५.३५०	०.०००	२०.०००	२०.०००	४०.०००
३	लघु सिंचाई प्रमङ्गल, रौची	रौची	सिल्ली	१	बड़ा चौंगरु मध्यम सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन	१३/२६.०७.१२	५५.६००	०.०००	०.०००	२.०००	२.०००
तालाब योजनाओं का पुनर्स्थापन।											
१	लघु सिंचाई प्रमङ्गल, रौची	रौची	सिल्ली	१	साहेबबांध तालाब योजना का पुनर्स्थापन	५७/२८.०३.११	१६८.४८०	१५०.०००	१८.०००	८.०००	२६.०००
									राशि	१८.०००	८.०००
									कुल योग	१६९.०००	६२.०००
											२३१.०००
अतिरिक्त आवंटित राशि – ₹ बास्त लाख मात्र।											

(अंकार नाथ) सहायक अभियंता	(जयप्रकाश भट्टाचार्य) उपसचिव (अभि.)	(बी. सी. निगम) विशेष सचिव
(एस० के० शतामधी) प्रधान सचिव		